प्रेस नोट 28/03/2024

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 05 दोषसिद्ध अभियुक्त 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹5,000–5000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 28–03–2024 को, मु0अ0सं0 1231/2008 धारा 147,323,149,325,304,308,504,506 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्त कैलाश चौहान, हरि चौहान, मगर चौहान पुत्रगण रामरज चौहान, दुर्गविजय चौहान पुत्र कैलाश चौहान व सामा चौहान पुत्र खदेरन निवासीगण बरलाई थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹5000–5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखंसी का सराहनीय योगदान रहा।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 28.03.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चॉदमारी इमिलिया के पास से मु0अ0सं0 06/24 धारा 3(1) युपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शाजिद पुत्र शाहिद निवासी बुनकर कॉलोनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।